डॉक्टरों को राइट टू हेल्थ बिल का साथ देना चाहिए न की विरोध करना

इंडियन एक्सप्रेस

पेपर-II
(भारतीय राजव्यवस्था)

21 मार्च को, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार (RTH) विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। यह बिल राज्य के सभी सरकारी और चुनिंदा निजी अस्पतालों में आउट पेशेंट और इनपेशेंट सेवाओं तक मुफ्त पहुंच की अनुमति देता है। जब से बिल पास हुआ है, तब से चिकित्सा बिरादरी इसके खिलाफ है। संक्षेप में, अधिकांश डॉक्टरों को लगता है कि आरटीएच बिल उनके "बिजनेस मॉडल" पर हमला है। इसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों चाहे वह राजनीतिक, सामाजिक या पेशेवर हो और न केवल स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं तक सीमित हो, में टूटे हुए नैतिक दायरे के तहत एक राष्ट्र के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

राजस्थान को आरटीएच बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

राजस्थान किसी भी मानक से "स्वस्थ" राज्य नहीं है :-

- 2022 में, नीति आयोग, विश्व बैंक और केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने "स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत" नामक एक रिपोर्ट में राजस्थान को 19 बड़े राज्यों में 16वें स्थान पर रखा था।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के अनुसार, राज्य में शिशु मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर क्रमशः 30.3 प्रति 1,000 जीवित जन्म और 20.2 प्रति 1,000 जीवित जन्म है। बाल्यावस्था मृत्यु दर की इतनी ऊंची दर राज्य के स्वास्थ्य ढांचे की खराब स्थिति को दर्शाती है।
- यह महिलाओं और बच्चों में पोषण संबंधी एनीमिया के उच्चतम स्तर वाले राज्यों में से एक है।
- राज्य का डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात प्रति 10,000 जनसंख्या पर पाँच डॉक्टरों के आश्चर्यजनक रूप से निम्न स्तर पर है (तुलना में यह जम्मू और कश्मीर में प्रति 10,000 जनसंख्या पर 21 डॉक्टरों से भी कम है)।

इस तरह की निराशाजनक स्वास्थ्य तस्वीर के साथ राजस्थान आरटीएच बिल बनाने और लागू करने के लिए आदर्श राज्य था।

स्वास्थ्य में निजी क्षेत्रों का प्रचलन

बिल के खिलाफ राज्य की चिकित्सा बिरादरी का विरोध असाधारण है। हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ पूँजीवाद की अपराजेय शक्ति ने स्वास्थ्य संकटों का झरना खड़ा कर दिया है। वे दिन गए जब चिकित्सा सभी व्यवसायों में सबसे महान थी। आधिकारिक आंक. ड़ों के अनुसार, भारत में 78 प्रतिशत से अधिक स्वास्थ्य सेवा अब निजी क्षेत्रों द्वारा वितरित की जाती है। निजी चिकित्सक ने पारंपरिक सरकारी चिकित्सक को लगभग पूरी तरह से बदल दिया है और यह निजी चिकित्सक है जो राजस्थान में आरटीएच बिल से सबसे ज्यादा नाखुश है।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने आने वाले दिनों में आरटीएच बिल के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने की धमकी दी है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि आईएमए के अधिकांश पदाधिकारी निजी व्यवसायी हैं और संगठन के विभिन्न पदों के लिए चुनाव क्षेत्रीय, राजनीतिक और मौद्रिक दबदबे के आधार पर उत्सुकता से लड़ा जाता है। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि वेब पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, और आईएमए अधिकारी जो कह रहे हैं, उसके विपरीत, राजस्थान का आरटीएच बिल डॉक्टरों और सरकारी अधिकारियों के बीच एक श्रृंखला बैठकों के बाद तैयार किया गया था। सितंबर 2022 में विधानसभा में पेश किए गए अपने मूल रूप से बिल में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इस प्रकार यह हितधारकों को लूप में रखे बिना तैयार किया गया बिल नहीं है।

बिल का विरोध क्यों किया जा रहा है?

राजस्थान के विरोध करने वाले डॉक्टरों की मुख्य शिकायत बिल में प्रावधान है जिसके अनुसार राज्य के किसी भी निवासी को सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों

राइट टू हेल्थ एक्ट

राजस्थान का स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम अपनी तरह का पहला कानून है (अब यह बिल पास हो गया है) जो अन्य राज्यों के अनुकरण के लिए एक उदाहरण हो सकता है इस एक्ट के तहत राजस्थान के हर निवासी को राज्य के किसी भी हेल्थ इंस्टीट्यूट में पूर्व भुगतान के बिना इमरजेंसी इलाज के साथ फ्री इलाज का लाभ उठाने का अधिकार है। यह विधेयक किसी भी क्लिनिक में फ्री इलाज की सुविधा लेने का अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति पब्लिक हेल्थ संस्थानों में फ्री आउटडोर और इनडोर पेशेंट डिपार्टमेंट सर्विस, कन्सल्टेशन, दवा और डायग्नोस्टिक का लाभ ले सकता है।

राइट टू हेल्थ में शामिल कुछ प्रावधान

- राइट टू हेल्थ में बायोटेररिज्म (जैव आतंकवाद), बायो टेक्नोलॉजी, नेचुरल बायोलॉजिकल खराबी पैदा करने वाले या बायोलॉजिकल वेपन, बैक्टीरिया, वायरस, जहरीले तत्व, बायो प्रोडक्ट्स से होने वाले नुकसान भी कवर होंगे।
- केमिकल अटैक, नेचुरल हॉरर (प्राकृतिक विभीषिका), परमाणु हमला या दुर्घटना, प्रभावित आबादी की बड़ी तादाद में मौत, जनहानि, प्रभावित आबादी पर लम्बे समय के लिए प्रभाव या गंभीर रूप से अक्षम होने, वायरल या जहरीले तत्वों, गैसों का फैलना और उससे होने वाले जोखिम शामिल किए गए हैं।
- एपिडेमिक यानी महामारी के दौरान राइट टू हेल्थ प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को इलाज का सुरक्षा कवच देगा।
- मेडिकल एंड हेल्थ के किसी भी मेथड (पद्धति) में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, नर्सिंग, रिहैबिलिटेशन, हेल्थ रिकवरी, रिसर्च, जांच, उपचार, प्रोसीजर्स और अन्य सर्विसेज इसमें शामिल हैं। सभी तरह के गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट, फैसिलिटी, बिल्डिंग, जगह या उसका पार्ट इसमें शामिल हैं।
- रोड एक्सीडेंट्स में फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री ट्रीटमेंट और फ्री इंश्योरेंस कवर इस्तेमाल होगा। सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट से रेफरल ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलेगी।
- किसी मेल वर्कर की ओर से महिला पेशेंट के फिजिकल टेस्ट के दौरान महिला की उपस्थिति जरूरी होगी।
- फीस या चार्ज के एडवांस पेमेंट के बिना इमरजेंसी कंडीशन के दौरान बिना देरी किए प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जरूरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी और इंटेंसिव केयर, इमरजेंसी डिलीवरी और ट्रीटमेंट देंगे।
- शिकायत निवारण सिस्टम डेवलप किया जायेगा।
- स्टेट हेल्थ अथॉरिटी और हर जिले में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बनेगी
- दोषी पाए जाने पर 10 से 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है।

में पूर्व भुगतान के बिना आपातकालीन उपचार और देखभाल का अधिकार होगा। यह निश्चित रूप से "बिजनेस मॉडल" को उलट देता है, जिस पर अधिकांश निजी स्वास्थ्य सेवा काम करती है। इस खंड के बारे में डॉक्टरों की चिंता दुगनी है- पहला, यह कौन तय करता है कि चिकित्सा आपातकाल के रूप में क्या वर्गीकृत किया जा सकता है, और दूसरा, नौकरशाही और राजनीतिक नियंत्रण और जब इन रोगियों के लिए भुगतान की प्रतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति की बात आती है तो हाथ मरोड़ते हैं। दोनों आशंकाएं जायज हैं लेकिन अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किसी भी भारतीय राज्य द्वारा अपनी तरह की अनूठी पहल का विरोध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। डॉक्टरों को एक ऐसे मामले में रोगी का पक्ष लेते हुए दिखाई देना चाहिए था जिससे उन्हें स्पष्ट रूप से लाभ हो रहा है।

क्या यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (g) का उल्लंघन है?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिल में यह साफ नहीं है कि क्या राज्य प्राइवेट क्लिनिक को इलाज का भुगतान करेगा। यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (g) का उल्लंघन कर सकता है, जो किसी भी पेशे की प्रैक्टिस करने या कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने के अधिकार की गारंटी देता है। फ्री सर्विस देने के प्राइवेट क्षेत्र पर दायित्व का अर्थ है कि कोई भी निवासी भुगतान नहीं करेगा। अगर सरकार लागत की प्रतिपूर्ति नहीं करती है, तो प्राइवेट संस्थानों के पास रेवेन्यू नहीं आएगा और संभवत: बंद हो जाएंगे।

विरोध के अन्य कारण

उपर्युक्त दोनों मुद्दे आरटीएच बिल के कारण समस्या नहीं हैं, बल्कि सिस्टम के प्रति डॉक्टरों के अविश्वास से उत्पन्न समस्या है। दुर्भाग्य से, जब महत्वपूर्ण मुद्दों की बात आती है तो विशेषाधिकार प्राप्त भारतीय चिकित्सक उसी प्रणाली के साथ हाथ मिलाते हैं। कितनी बार हमने राजस्थान के डॉक्टरों को सांप्रदायिकता, जातिगत अत्याचार, पुलिस की बर्बरता या क्षरणकारी राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ बोलते देखा है? डॉक्टरों का विरोध इस देश में रोगी देखभाल में एक ऐतिहासिक क्षण को गले लगाने में विफल रहने में उनकी भोलापन दिखाता है।

न्यायोचित, रोगी हितैषी बिल को लेकर राजस्थान के डॉक्टरों की बेचैनी और हताशा से पता चलता है कि भारतीय चिकित्सक आम आदमी से कितने दूर हैं। क्या पैसा कमाना अपराध है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन पैसा कमाने और निकालने के बीच का अंतर आधुनिक चिकित्सा पद्धति में इतना सूक्ष्म है कि रेखा को पार करना बहुत मुश्किल नहीं है।

रोगियों के लिए कानूनी अधिकार

राजस्थान का आरटीएच रोगी के लिए एक कानूनी अधिकार है जो उम्मीद है कि कई डॉक्टरों को उस सीमा को पार करने से रोकेगा। यह ध्यान रखना दिलचस्प हो सकता है कि राजस्थान में भी देश में स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा की सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा बहुक्रियात्मक है लेकिन इस हिंसा के केंद्र में रोगी या उसके परिजनों के प्रति सामान्य रूप से और विशेष रूप से डॉक्टर के प्रति गहरा अविश्वास है। रोगी हितैषी बिल को अपनाना राजस्थान के डॉक्टरों के लिए इस अविश्वास को कुछ हद तक दूर करने का एक अवसर होता।

समाज और चिकित्सक

चिकित्सक लोगों के सीधे संपर्क में है। समाज और चिकित्सक एक दूसरे के दर्पण हैं। यदि आज के चिकित्सक को आईने में अच्छा दिखना है, तो उसे समाज को अच्छा दिखने में मदद करनी होगी। समाज को अच्छा दिखने का सबसे आसान तरीका समानता और न्याय लाना है और यह चिकित्सक की पैसे कमाने की क्षमता की कीमत पर हो सकता है। हम डॉक्टरों को संगठनात्मक विशेषाधिकारों की छत्रछाया में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इसके बजाय, हमें उन लोगों की तरह दिखना चाहिए जो सूरज के नीचे काम करते हैं, गरीबों और गरीबों के साथ हाथ मिलाते हैं। भले ही हम अमीर न दिखें, हमें कम से कम दयालु दिखना चाहिए।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है।
2. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (g) किसी भी पेशे की प्रैक्टिस करने या कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने के अधिकार की गारंटी देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements–

1. Public health is a state subject.
2. Article 19 (1) (g) of the Indian Constitution guarantees the right to practice any profession or to carry on any business or trade.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

उत्तर : C

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : राजस्थान सरकार द्वारा लाये गए 'राइट टू हेल्थ एक्ट' क्या है तथा इस पर इतना विरोध क्यों हो रहा है? क्या इसी तरह के प्रावधान अन्य राज्यों को भी करना चाहिए? अपने विचार दीजिए। (250 शब्द)

उत्तर का दृष्टिकोण :-

- राजस्थान सरकार द्वारा लाये गए 'राइट टू हेल्थ एक्ट' प्रावधानों की चर्चा कीजिए।
- इसके विरोध के करने को बताएं।
- क्या अन्य राज्यों में भी इसी तरह का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- संतुलित निष्कर्ष दीजिए।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।